

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :-श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 69/2023

प्रकरण दर्ज तिथि :- 26.07.2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/163

वादीया

मैना देवी पत्नि श्री पेमराम, उम्र-33 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी कुशालपुरा,
तहसील-रायपुर, जिला-पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1 देवाराम पुत्र श्री बंशीलाल, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
- 2 पुष्पा पत्नि श्री बुधाराम उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
- 3 बाबुडी पत्नि अमराराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
- 4 भनाराम पुत्र श्री लाबुराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
- 5 सोहनलाल पुत्र श्री लाबुराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
- 6 सरिता देवी पत्नि श्री नेमीचन्द, उम्र-वयस्क, जाति रेगर, निवासी कुशालपुरा
- 7 राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर, जिला पाली

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 'ए' 92 व 188 राज. काश्त.

अधि.

- 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीया उपस्थित
- 2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक: 02.04.2025

वादीया की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 'ए' 92 एवं 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपुरा, भू. अभि.निरिक्षक क्षेत्र पीपलीया कलां तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075-2078 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 466 खसरा सं. 95 रक्बा 0.7608 हैक्टैयर किस्म चाही दोयम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामिलती कृषि भुमि आई हुई है। वादीया की खरीद शुदा भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075-2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात मे से वादीया का 13/94 वा हिस्सा बनता है जिस अनुसार वादीया की 0.1052 हैक्टैयर भुमि बनती है। उस हिस्से की वादीया खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादीया ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 6 तक का हिस्सा दर्ज रेकर्ड जमाबन्दी वर्णीत अनुसार है। वादीया खरीद दिनाक से आज दिनाक तक मौके पर कब्जे अनुसार कब्जा काश्त कर रही है एवं मौके पर वादीया का कब्जा काश्त बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादीया एवं प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भुमि एक खाते मे शामिलती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि की एक जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 6की वादीया की भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादीया एवं प्रतिवादी


सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए-दिन झगडा-फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 6 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त खातेदारों का राजस्वे रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादीया के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एवं उनसे बँटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादीया ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादीया के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने-अपने हिस्से अनुसार बँटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 6 ने वादीया के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादीया को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीया के बार-बार बँटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण ने बँटवारा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादीया को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादीया की भुमि मे दखलअदाजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण ने बटवाडा करने से मना कर दिया। वादीया ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का बँटवारा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेष मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिनांक 03.07.2023 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादीया अपने कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादीया अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादीया के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को अपूर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादीया को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादीया को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पडेगा। इसलिए वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग-अलग अपने-अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। बिनायदावा दिनांक 03.07.2023 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को वादीया के हिस्से भुमि का कब्जे अनुसार विवादित भुमि का तकास्मा करने का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीया को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्यार समायत अदालत बाला के है। उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादीया का वाद उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीया के पक्ष में है। जिस अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 से 6 को उपरोक्त वादपत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 7 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और

तिलावास्टे

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
राजपुर (राजस्थान)

प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। यह कि वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का कुशालपुरा, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। वादपत्र के साथ द्वितिय प्रति, शपथपत्र कि प्रति पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस बाबत् तकास्मा आराजी व बाबत् स्थाई निशेधाज्ञा रूपये 200/-, 200/- की कायम की जाती है जिस पर मुर्कर सुदा फिक्स कोर्ट फीस स्टाम्प 6/- बतौर रशुम के वाद के साथ पेश है। इस्तेदुआ वादी की निम्न है कि :- डिक्री तकास्मा वादीया बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपुरा, भू. अभि.निरिक्षक क्षेत्र पीपलीया कलां तहसील रायपुर जिला पाली (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075-2078 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2020) से स्थायी के खाता सं. 466 खसरा सं. 95 रक्बा 0.7608 हैक्टैयर किस्म चाही दोयम मे वादीया एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। वादीया की खरीद शुदा भुमि है। उपरोक्त विवादित भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बटौ हुई है। विवादित भुमि मे वादीया एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काशत है। परन्तु विवादित भुमि वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढ्डी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीया को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटेकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 6 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीया के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काशत आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादीया को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादीया द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काशत, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो। कि खर्चा वाद वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित माने तो वादीया को दिलाया जावे।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 20 के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए डी तामिल की गयी। प्रतिवादीगण तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/486 दिनांक 04.3.2025 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ है।

तलबी की
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ज्वावर)

अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस समाप्त की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपुरा, भू. अभि.निरिक्षक क्षेत्र पीपलीया कलां के खसरा सं. 95 रकबा 0.7608 हैक्टैयर किस्म चाही दोगम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं नजरी
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)
रायपुर (कलक्टर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्दाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :- श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.
वादीया

मैना देवी पत्नि श्री पेमाराम, उम्र-33 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी कुशालपुरा,
तहसील-रायपुर, जिला-पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1 देवाराम पुत्र श्री बंशीलाल, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
2. पुष्पा पत्नि श्री बुधाराम उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
3. बाबुडी पत्नि अमराराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
4. भनाराम पुत्र श्री लाबुराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
5. सोहनलाल पुत्र श्री लाबुराम, उम्र-वयस्क, जाति बावरी, निवासी कुशालपुरा
6. सरिता देवी पत्नि श्री नेमीचन्द, उम्र-वयस्क, जाति रेगर, निवासी कुशालपुरा
7. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, रायपुर,


दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं' 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा कुशालपुरा, पटवार हल्का कुशालपुरा, भू अभि.निरिक्षक क्षेत्र पीपलीया कलां के खसरा सं. 95 रकबा 0.7608 हैक्टैयर किस्म चाही दायम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे।

नीज..... मुबलिक..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तकको अदा करे।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.4.2025 को जारी किया गया।



(गुलाब सिंह वर्मा)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदयलह	रूपया	पै.		
स्टाम्प अर्जीनामा	-	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	-	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	-	04	00	स्टाम्प हाजरी	-		
स्टाम्प वजह सबूत	-	00	00	मेहनताना वकील पर	-		
मेहनताना वकील	-			खर्चा गवाहान	-		
खर्चा गवाहान	-			फीस कमिश्नर	-		
फीस कमिश्नर	-			बाबत इजराय हुक्मनामा	-		
बाबत इजराय हुक्मनामा	-			मुतफरिक	-	00	00
मुतफरिक	-	6	00	मीजान	-		
मीजान	-	12	00			00	00

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावे।